Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ट्रांसजेंडर और मानव अधिकार

डॉ. सुचित्रा शर्मा (सहा. प्राध्यापक समाजशास्त्र), शा. वि.या.ता. स्ना. स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)
सोनम सिंह राजपूत (शोधार्थी समाजशास्त्र), शा. वि.या.ता. स्ना. स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

सारांश :-

प्रकृति के नियम अनुसार जीव जगत का विस्तार नर और नारी के मिलने से ही संभव है प्रकृति ने जहां मानव समाज में नर और नारी का अपना - अपना अस्तित्व है उन्हीं के बीच एक मनुष्य ऐसा भी होता है जिसे ना तो नर कहा जा सकता है और ना ही नारी परंतु उसकी एक पहचान है और वह पहचान एक मानव के रूप में है मनुष्य की पहचान लिए हुए है फिर भी मानवों के द्वारा बनाए हुए समाज में अपना अस्तित्व तलाश करते भटक रहे हैं यह वर्ग तृतीय लिंग के बारे में संज्ञापित किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति है जिनकी लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य में प्राप्त धारणाओं के कारण उनकी स्थिति यथावत है जो समाज में रहकर भी हाशिये पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। भारत में संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, फिर भी ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के हर हिस्से से उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है । वर्तमान परिदृश्य में समस्त कानूनों के होते हुए भी ट्रांसजेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी से वंचित हैं और इसलिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच प्रतिबंधित है जो उन्हें कानून के समक्ष समानता के संवैधानिक अधिकार और कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित करती है प्रस्तुत शोध अध्ययन "ट्रांसजेंडर और मानव अधिकार" से संबंधित है एवं शोध संबंधित जानकारी द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त की गई है।

मूल शब्द :- ट्रांसजेंडर, सामाजिक संरचना, जेंडर, मानव अधिकार, कानून ।

प्रस्तावना :- भारतीय समाज विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण से युक्त वैविध्य पूर्ण समाज है, जहां जाति धर्म रहन सहन तौर तरीके और भाषा के आधार पर काफी अंतर दिखाई देता है। भले ही हमारा समाज अनेकता में एकता को समाहित किए हुए हैं फिर भी यहां कई स्तर के भेदभाव अंतर्निहित है- ऊंच-नीच, स्त्री-पुरुष, और लैंगिक। भेदभाव के इसी असामान्य स्थिति के बीच यह थर्ड जेंडर समुदाय है जो आदिकाल से ही समाज का अंग होने के बावजूद हाशिए पर ही रहा। आज किन्नरों के लिए ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात जेंडर से परे। जेंडर का अर्थ है लिंग भाव। अंग्रेजी में अब तक सेक्स एवं जेंडर शब्द लिंग के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। जेंडर शब्द लिंग अर्थात सेक्स का पर्याय है। लिंग प्राकृतिक है और जेंडर सामाजिक। जेंडर शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी एक लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति उस लिंग से अलग होती है जो उन्हें उनके जन्म के समय दी गई होती है।

न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन ने कहा कि - "तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडरों की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानव अधिकार मुद्दा है," भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को उनके द्वारा किए गए भेदभाव को मिटाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह ट्रांसजेंडर को सामाजिक और आर्थिक

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

रूप से पिछड़ा वर्ग माने और उन्हें उनके तीसरे लिंग की श्रेणी के आधार पर शिक्षण संस्थान और रोजगार में प्रवेश दिलाने की अनुमति दें। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में तीसरे लिंग ने कानून की नजर में कानूनी मान्यता प्राप्त की क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार तीसरे लिंग के लिए उसी तरह उपलब्ध होने चाहिए जैसे वे पुरुष और महिला को प्रदान किए गए थे। स्वीडन सबसे पहला देश है जिसने एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए एक्ट बनाया और समान अधिकार और अवसर प्रदान किए। 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में ट्रांसजेंडर रोको तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देकर भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की नींव की स्थापना की।

साहित्य की समीक्षा :- ट्रांसजेंडर पर वैश्विक स्तर पर शोध कार्य किए जा रहे हैं 1997 में जे.एन.झाउ, एम. ए. हॉफमन, एल. जे. गुरेन और डी. एफ.स्वाब आदि शोधकर्ताओं ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के दिमाग को अनेक प्रकार से परखने का प्रयास किया और पाया कि विकसित होते समय ब्रेन और सेक्स हार्मोन्स की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया वैसे ही जेंडर आईडेंटिटी तैयार होती है। 2008 में मेलबर्न के प्रिंस हेनरीज इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, विकास ढिकव की सेक्सुअल डेविएशन दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन, पुनीत बिसारिया, रवि कुमार गौड़, वैदेही कोठरी, उर्मिला पोड़वाल द्वारा शोध कार्य किए गए । सुज्ञानता प्रियदर्शनीसुकांता चंद्र स्वाइन (2020), भट्टाचार्य एस.(2020), त्रिवेदी डी. (2020), चौधरी पी.(2020), बेनर्जी ए.(2020), शीला डागा (2020) द्वारा तथा हिंदी साहित्य में इन पर समलैंगिकता विमर्श के तहत कई रचनाएं लिखी गई हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :- इस अध्ययन का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों के मानव अधिकार और संरक्षण अधिनियम की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है।

तथ्य संकलन :- तथ्य संकलन के लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। विषय से संबंधित पूर्व में किए गए प्रकाशित शोध ग्रंथ, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से संकलन एवं उपयोग किया गया है इसके अतिरिक्त इंटरनेट के माध्यम से भी तथ्य संकलित किए गए हैं।

अवधारणात्मक व्याख्या :-

ट्रांसजेंडर- आज किन्नरों के लिए ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जेंडर से परे। जेंडर का अर्थ है लिंगभाव। अंग्रेजी में अब तक सेक्स एवं जेंडर शब्द लिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जेंडर शब्द लिंग अर्थात सेक्स का पर्याय है। लिंग प्रकृतिक है और जेंडर सामाजिक। लिंग याने जननांगों के आधार पर समाज के दो मुख्य घटक हैं - स्त्री और पुरुष। इनसे भिन्न तीसरा घटक तृतीय लिंगी या थर्ड जेंडर कहलाता है। इन तीनों से संबंधित धाराएं जेंडर (सोच) है। व्याकरण की दृष्टि से तीन जेंडर हैं - स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इस तृतीयलिंग के लिए समाज में बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं - किन्नर, ख्वाजासरा, हिजड़ा, क्लिब, षंड, नपुंसक, पवैया, छक्का, जनखा, थिरुनंगई, अली, खुस्रा, खोजा, नंबर नौ, जगप्पा कोचावाडू, अरवन्नी, तृतीय लिंगी, अब इन सबके लिए एक संप्रत्यय LGBTQ आदि।

किन्नर या थर्ड जेंडर से अभिप्राय उन लोगों से हैं जिनके जननांग पूरी तरह विकसित ना हो पाए हो या स्पष्ट न हो। जोना नर हो या न नारी। देह इनकी पुरुष या स्त्री की होती है किंतु भावना देह के विपरीत होती है। यह इन दोनों का मिश्रित अस्तित्व है, जिनकी समाज न तो उपयोगिता स्वीकार करता है, और न ही समाज में मिलाना चाहता है। परिवार में बच्चे का जन्म अपने साथ खुशियां लाता है, लेकिन जब कोई बच्चा इस तरह जननांगों के आधार पर आधा- अधूरा पैदा होता है तो खुशियों के बजाय महत्वहीन हो जाता है। जैविक पहचान

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

विहीन या शिशु उम्र भर समाज की उपेक्षा और नकारात्मकता के बीच अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर होता है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती है।

कुछ विद्वानों ने इसे निम्न तरीके से परिभाषित किया है -

गर्भ के समय जननांग विकसित ना होने से स्त्री पुरुष से बिन स्त्री-पुरुष मिश्रित संरचना होती है और दोनों के मिश्रित लक्षण आ जाते हैं। जिनमें गर्भधारण की क्षमता नहीं होती। इस तरह ये कहा जा सकता है कि किन्नर या ट्रांसजेंडर एक जन्मजात लिंगविहीन और प्राकृतिक विकार को झेलता हुआ मनुष्य है जो आधा स्त्री और आधा पुरुष दोनों के गुणों को मिलाकर बना है। किन्नर नर भी पैदा होते हैं और मादा भी परंतु व्यवहार के आधार पर स्त्रीयोचित और पुरुषोचित मानते हैं। यह स्वयं को तृतीय लिंग के रूप में पहचानना पसंद करते हैं।

इस संबंध में नंदा अपनी कृति मैं लिखती है स्वयं किन्नर भी अपने आप को ना तो आदमी और ना ही औरत के रूप में स्वीकार ते हैं ते हैं बल्कि उनका मानना है कि महिला पुरुष द्वीधारी के बीच में कहीं ना कहीं एक जीवन ईश्वर ने बनाया है जहां स्त्रीत्व और पुरुषत्व की गहरी जड़ें सांस्कृतिक निर्माण के द्वारा प्रतिबंधित हैं। अधिकांश हिजड़े शरीर शारीरिक रूप से नर होते हैं या अंतःलिंगी (Intersex), किंतु मादा (स्त्री) भी होते हैं।

भारत सरकार के ट्रांसजेंडर पर्सनल बिल 2016 के अनुसार, ट्रांसजेंडर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है-

- न तो पूरी तरह से महिला है और ना ही पुरुष।
- महिला और पुरुष, दोनों का संयोजन हो।
- ना तो महिला हो और ना ही पुरुष के तौर पर परिभाषित किया जा सके।
- इसके अलावा उस व्यक्ति का लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता हो।
- ट्रांस-मेल या ट्रांस-फीमेल हो।
- इंटरसेक्स भिन्नताओं के साथ लिंग विलक्षणताओं वाले व्यक्तियों को भी इस वर्ग में शामिल किया जाता है।

आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनसामान्य में व्याप्त धारणाओं के कारण इनकी स्थिति यथावत है जो समाज में रहकर भी हाशिये पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इन किन्नरों के 4 वर्ग हैं - बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। **बुचरा** - जो जन्मजात होते हैं और यह यही वास्तविक किन्नर है। **नीलिमा** - जो किसी कारणवश स्वयं किन्नर बनने को बाध्य होते हैं। **मनसा** - जो शिक्षा में हिजड़ो के समूह में शामिल हैं। **हंसा** - नपुंसकता या यौन न्यूनताओं के कारण किन्नर बनते हैं। इसके अतिरिक्त **अबुआ** जो धन अर्जित करने के लिए पुरुष होते हुए भी स्त्री का स्वांग धर नकली किन्नर बनते हैं और **छिबड़ा** जो बधियाकरण कर जबरन किन्नर बनाए जाते हैं।

ट्रांसजेंडर शब्द 1960 से एक अंतरराष्ट्रीय शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ जो 1970 से माननीय हो गया। कुछ पर्यायवाची शब्द इन के लिए प्रयुक्त होते हैं - एंड्रोयन्स, मल्टीजेंडर्स, जेंडर नॉनकंफर्मिंग, थर्ड जेंडर, और टू स्पिरिट पीपल आदि। कोई भी समुदाय कितना भी छोटा क्यों ना हो उसके अपने मूल अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस समुदाय के सदस्यों के बीच समलैंगिकता का संबंध होता है अतः इसे कोई मानसिक विकार ना मानते हुए 6 सितंबर 2018 को इसे स्वीकृति प्रदान की गई समलैंगिकों को आम बोलचाल की

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

भाषा में एलजीबीटी(LGBT) यानी लैसबियन, गे, बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कहते हैं। वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे क्वीयर समुदाय का नाम दिया गया है। इसलिए इसे एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) भी कहा जाता है।

मानव अधिकार :- मानव अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। जिसे किसी भी सरकार के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही निरस्त किया जा सकता है, इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस कारण वर्तमान में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

हंट के अनुसार, "मानव अधिकार मानवीय विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति है जो सैद्धांतिक अभी मूल्य की आधारशिला है। जिससे मानव उन्नति के शिखर पर अग्रसर होता है।"

न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन के अनुसार, "तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर रूप की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है बल्कि एक मानव अधिकार मुद्दा है।"

ट्रांसजेंडर और मानव अधिकार :- हमारे भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में जेंडर या लैंगिक पहचान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। समाज जेंडर को स्त्री और पुरुष की बाइनरी में देखने व समझने का अभ्यस्त हो गया है, इसी अभ्यस्ता के कारण ही समाज में तृतीय लिंग को लेकर जो धारणाएं बनी वह उनकी पहचान पर भी संकट उत्पन्न करने वाली थी, क्योंकि वह प्रचलित बाइनरी से बाहर थे। इसी पहचान को लिए हुए तृतीय लिंग समुदाय लंबे समय से संघर्षरत थे। यह संघर्ष सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर चल रहा था। पहचान के लिए समाज की स्वीकृति और संवैधानिक मान्यता दोनों ही बहुत जरूरी थी।

15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले ने तृतीय लिंग को संवैधानिक अधिकार दिया और सरकार को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें । तत्पश्चात 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद तृतीय लिंग के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों उनके कल्याण और उनसे संबंधित अन्य मामलों की सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम 19 जुलाई 2019 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा लोक सेवा में पेश किया गया था। जो 2016 और 2018 विधेयक की कमियों और चूक के कारणों का विश्लेषण करने के बाद अधिनियमित किया गया था।

जिस प्रकार प्रतिक्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसी प्रकार समाज द्वारा ट्रांसजेंडर पर किए गए भेदभाव का समाज पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा हुए हिंसा और अपराधों को समाज में देखा है, जो उनके कथित यौन अभिव्यक्ति प्रतिक्रियाओं से पैदा होने वाली बढ़ती नाराजगी से उपजा है । बदले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति अकड़ रवैया उनमें आत्म सम्मान और आत्म मूल्य के स्तर को गिरा देता है जैसे कि सेक्स वर्क जैसे उच्च जोखिम वाले व्यवहारों में वृद्धि होती है । भारतीय रेलवे यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा जबरन वसूली की धमकी का सामना करना पड़ता है । नकारात्मक प्रभाव के अलावा समाज द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति प्रदर्शित होने वाली तीव्र

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

घृणा ने उन्हें तीसरे लिंग के अधिकारों के लिए द्वार खोलकर सामाजिक परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए एक अटूट सहयोगात्मक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है मानव अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारी प्रयास को जबरदस्त बढ़ावा दिया है।

भारतीय संविधान के तहत ट्रांसजेंडरों के अधिकार :-

संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को न्याय का अधिकार दिया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की स्थिति में न्याय। भारतीय राज्य नीति जिसने पहले केवल 2 लिंगों की मान्यता दी थी यानी केवल पुरुष और महिला ने भारतीय नागरिक होने के नाते तीसरे लिंग को उनके कई अधिकारों से वंचित कर दिया है जिसमें वोट का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शादी करने का अधिकार, पासपोर्ट आदि के माध्यम से औपचारिक पहचान का दावा और इससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य आदि का अधिकार शामिल है। जिन मूल अधिकारों से वंचित थे, वे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार हैं। ट्रांसजेंडर के अधिकार जहां पहली बार 2014 के नालसा के फैसले के तहत विचार किया गया था जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया था जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 में निर्धारित सिद्धांतों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 14, भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समान संरक्षण से संबंधित है, स्पष्ट रूप से व्यक्ति अभिव्यक्ति के अंदर आता है जिसमें पुरुष महिला और तीसरे लिंग को इसके दायरे में शामिल किया गया है, इसलिए ट्रांसजेंडर भी राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में भारतीय संविधान के तहत कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं।
- अनुच्छेद 15, जो धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है, इसके दायरे में तीसरा लिंग शामिल है क्योंकि नागरिक होने के नाते उन्हें अपने धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करने का अधिकार है। उन्हें अपने लिंग अभिव्यक्ति की रक्षा करने का अधिकार है जो उनके पहनावे, कार्य और व्यवहार के माध्यम से प्रमुख रूप से परिलक्षित होती है।
- अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है क्योंकि इस अनुच्छेद का उपयोग टैक्स की अवधारणा को व्यापक बनाने के लिए किया जाता है जिसमें मनोवैज्ञानिक सेक्स और इसके दायरे में लिंग पहचान शामिल है। भारत के नागरिक होने के नाते ट्रांसजेंडर को रोजगार के मामले में समान अवसर का अधिकार है और उनके साथ योन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। सदियों से ट्रांसजेंडर को उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। भारत के नागरिक होने के नाते ट्रांसजेंडर को अपने अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 21 के बारे में लैंगिक पहचान को मान्यता देकर गरिमा के अधिकार को मान्यता दी है।

अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को कुछ निर्देश जारी किए जो निम्न है -

- हिजड़ो, किन्नरों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें तीसरे लिंक के रूप में माना जाना चाहिए।
- अपने स्वयं के लिंग की पहचान करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता को पहचानें।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

- नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एचआईवी सीरो सर्विलांस के संबंध में विशेष प्रावधान करना और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।
- उनकी समस्याओं जैसे - भय, लिंग डिस्फोरिया, शर्म, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि से निपटना।
- अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उपाय किए जाने चाहिए जैसे अलग वार्ड बनाना और उन्हें अलग सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध कराना।
- उनके सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं की रूपरेखा बनाना।
- जन जागरूकता पैदा करना ताकि ट्रांसजेंडर लोगों को लगे कि वह समाज का हिस्सा है और उन्हें अछूत नहीं माना जाना चाहिए।

वर्तमान में ट्रांसजेंडर समुदाय कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, जो कि निम्न है :-

1. **भेदभाव** - ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य रूप से रोजगार, शैक्षिक सुविधाओं, आवास एवं चिकित्सा सुविधाओं में होने वाले भेदभाव की समस्याएं हैं।
2. **पहचान का मुद्दा** - 1994 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिला लेकिन उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी करने का कार्य पुरुष या महिला के आधार पर किया गया इससे कई ट्रांसजेंडरों को उनकी पसंद की लैंगिक श्रेणी के साथ कार्ड लेने से वंचित कर दिया गया था।
3. **सार्वजनिक स्थानों और आवास की समस्या** - घरों या अपार्टमेंटओं में प्रवेश करते समय ट्रांसजेंडर रोको ईदे भेदभाव और इनकार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें ट्रांसजेंडर शौचालय के प्रावधान की कमी और सार्वजनिक शौचालय तक पहुंचने में भेदभाव के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
4. **सामाजिक समस्याएं** - ट्रांसजेंडर आबादी सबसे अधिक हास्य पर रहने वाले समूहों में से एक है। लैंगिकता या लैंगिक पहचान अक्सर ट्रांसजेंडर को समाज द्वारा कलंक और बहिष्करण का शिकार बनाती है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर समाज द्वारा बहिष्कृत किया जाता है यहां तक की उनके अपने परिवार भी उन्हें बौद्ध के रूप में देखते हैं और बाहर कर देते हैं।
5. **बेरोजगारी** - कई मामलों में कानूनी सुरक्षा की कमी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बेरोजगारी में तब्दील हो जाती है।
6. **स्वास्थ्य** - ट्रांसजेंडर अक्सर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचते समय अनादर और उत्पीड़न से लेकर हिंसा और सेवा से पूरी तरह इनकार करने तक भेदभाव का अनुभव करते हैं। समुदाय एचआईवी एड्स जैसे यौन संचारित रोगों के लिए अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।
7. **मानसिक स्वास्थ्य** - ट्रांसजेंडरों में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति और हिंसा से संबंधित तनाव मानसिक स्वास्थ्य में शामिल है।
8. **लिंग आधारित हिंसा** - ट्रांसजेंडर अक्सर यौन शोषण, बलात्कार और शोषण का शिकार होते हैं।
9. **शिक्षा** - ट्रांसजेंडर व्यक्ति की शिक्षा अन्य पुरुष या महिला लिंग की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण है लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्ति की सामाजिक कलंक का सामना करते हैं वह उनकी रुचि को तोड़ता है और अपने सीखने की ओर ध्यान केंद्रित करता है और इनमें से बचने उनमें से बचने नजरअंदाज करने और बदनाम होने की भावना विकसित होती है और ट्रांसजेंडर छात्रों को अक्सर इस से वंचित कर दिया जाता है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

ट्रांसजेंडर के मानवाधिकारों का उल्लंघन

- वे सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी से वंचित हैं और इसलिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित है, जो उन्हें कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित करती है। यह भी देखा गया है कि इस समुदाय को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट का अधिकार (अनुच्छेद 326), रोजगार, लाइसेंस प्राप्त करने आदि का अधिकार नहीं दिया जाता है और वास्तव में, उन्हें बहिष्कृत और अछूत माना जाता है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय को कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसलिए उनके पास दूसरों की तुलना में कम अवसर होते हैं। वह शायद ही शिक्षित होते हैं क्योंकि उन्हें समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और इसलिए उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिलती है। यहां तक कि अगर वे एक शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं तो भी उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और उन्हें हर दिन धमकाया जाता है और उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाता है या वह खुद ही स्कूल छोड़ देते हैं। यही वजह है कि वह वह भीख मांगने और सेक्स का काम करने लगते हैं।
- केवल पुरुष या महिला लिंग से ही काम पर रखने की नीति के कारण इस समुदाय के एक कुशल व्यक्ति को औपचारिक रोजगार मैं शायद ही कभी मौका मिलता है। अगर वे ऐसा करते भी हैं तो उनका उपहास किया जाता है और उन्हें बहिष्कृत किया जाता है और इसलिए उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है।
- उन्हें योन कार्य के लिए मजबूर किया जाता है जो उन्हें एचआईवी के उच्चतम जोखिम में डालता है क्योंकि वह असुरक्षित यौन संभोग के लिए सहमत होते हैं क्योंकि वह स्वीकृति से डरते हैं यावे सेक्स के माध्यम से अपने लिंग की पुष्टि करना चाहते हैं। उन्हें समाज में एचआईवी के व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। अन्य यौन संचारित संक्रमण जैसे कि रेक्टल, गोनोरिया, सिफलिस, ट्रैक्टर क्लैमाइडिया, एचआईवी आदि के जोखिम को बढ़ाते हैं।
- अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (इम्मोरल ट्रैफिक प्रीवेंशन एक्ट) 1956, जिसे 1986 मैं संशोधित किया गया था एकलिंग तटस्थ कानून (जेंडर न्यूट्रल लॉ) बन गया है। अधिनियम का क्षेत्र अब पुरुष और महिला दोनों यौन कर्मियों के साथ - साथ उन लोगों पर भी लागू होता है जिनकी लिंग पहचान अनिश्चित थी। संशोधन के साथ पुरुष और हिजड़ा यौन कर्मी दोनों अपराधिक विषय बन गए क्योंकि इससे पुलिस को ट्रांसजेंडर यौन कर्मियों की गिरफ्तारी और डराने- धमकाने का कानूनी आधार मिल जाता है।
- आईपीसी की धारा 377 सहमति देने वाले वयस्कों के बीच समान यौन संबंधों को अपराध बनाती है। यह एक औपनिवेशिक युग का कानून है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय को पुलिस उत्पीड़न, जबरन वसूली और दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाता है। जयलक्ष्मी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, पांडियन एक ट्रांसजेंडर को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। थाने में उसका यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके बाद उसने खुद को आत्मदाह करने के लिए मजबूर कर दिया।

ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019

Passed -5 August 2019

Signed- 5 December 2019

Commenced -10 January 2020

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करना
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करना
- ऐसे व्यक्ति को उस रूप में मान्यता देने के लिए अधिकार प्रदत्त करने और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार देना
- पहचान पत्र जारी करना
- यह उपबंध निश्चित करना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी स्थापन में नियोजन भर्ती उन्नति पदोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों के विषय में विभेद का सामना ना करना पड़े
- प्रत्येक स्थापन में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना विधेयक के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना

कुछ अध्ययन :-

- एक हिजड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने एक बच्चे के रूप में बड़े होने के अपने आघात को समझाया मैं अपनी उम्र के लड़कों से अलग महसूस करता था क्योंकि मैं एक लड़के के रूप में पैदा हुआ था और मेरे तरीके किसी स्त्री के जैसी थी। उसके स्त्रीत्व के कारण कम उम्र में ही मुझे परिवार के भीतर और बाहर दोनों जगह बार बार यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ और यौन शोषण का सामना करना पड़ा था। मेरे अलग होने के कारण मैं अलग अलग पड़ गया था और जब मैं अपनी पहचान के साथ आ रहा था तब मेरे पास बात करने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। हर कोई मुझे छक्का और हिजड़ा कहकर लगातार प्रताड़ित करता था। बाद में वह हिजड़ा समुदाय में शामिल हो गई क्योंकि उसने अन्य हिजड़ों के साथ पहचान बनाई और अपने जीवन में पहली बार उसने घर को महसूस किया।
- एक किन्नर सिद्धार्थ नारायण के पास भी कहने के लिए ऐसी ही बातें हैं। वह अपनी भावनाओं को तब तक व्यक्त करते हैं जब, मैं दसवीं कक्षा में था, मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए सहज होने का एकमात्र तरीका हिजड़ा समुदाय में शामिल होना था। तब मेरे परिवार को पता चला कि मैं अक्सर हिजड़ों से मिलता था जो शहर में रहते थे। एक दिन, जब मेरे पिता दूर थे, मेरे भाई ने, मेरी मां के प्रोत्साहन से, मुझे क्रिकेट के बल्ले से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट से बचने के लिए मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद मेरी मां और भाई ने मुझे और पीटने के लिए कमरे में घुसने की कोशिश की। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने बीच-बचाव किया और मुझे कमरे से बाहर ले आए ।
- मदुरै की एक ट्रांसजेंडर महिला 22 वर्षीय मधु बताती है कि अब वह इस बीमारी की जांच क्यों नहीं करवाती। वह साझा करती है कि, अब मुझमें साहस नहीं है क्या होगा अगर वे कहती हैं कि मुझे एचआईवी और एड्स है? मैं कहां जाऊंगी? और मैं कैसे सीखूंगी? अगर मुझे कभी एचआईवी का पता चला तो मैं मरने की उम्मीद करती हूं।
- छत्तीसगढ़ की विद्या राजपूत एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है। विद्या बताती है कि उन्हें बचपन में विकास के नाम से जाना जाता था और कम उम्र में ही उसे समझ में आ गया कि वह अन्य लड़कों से अलग महसूस करती है। उनका झुकाव गांव की लड़कियों की ओर होता गया, वे श्रृंगार करना सीखती थीं और छिपकर अपनी मां के कपड़े पहनती थीं। जैसे कि भारत में बड़े होते हुए ट्रांसजेंडर्स के साथ आमतौर पर होता है 42 साल की विद्या को कई वर्षों तक अपशब्दों का सामना करना पड़ा।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(6), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

- संजना मध्य प्रदेश की ट्रांसजेंडर है उन्होंने बताया कि उनकी लैंगिक अभिव्यक्ति को उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया और उनका भाई उन्हें आतंकित और प्रताड़ित करता था। ज्यादातर टीवी की तरह उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया और बधाई मांगना ब्रश करके किन्नरों की एक डोली में शामिल हो गई।

निष्कर्ष :-

भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही किन्नर समुदाय को तृतीय लिंग की मान्यता दे दी हो लेकिन जब तक इस संबंध में ठोस कानून बनाकर सरकार उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं करेगी तब तक किन्नरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा । हालैंड की दुनिया भर में किन्नर समुदाय अब कारपोरेट कला नौकरशाही वह राजनीति आदि विविध क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित करने में जुट गया है। भारत के किन्नरों के लिए मुक्त संगठन बनाने को प्रस्ताव रखे जाने के बाद से इस दिशा में काफी प्रगति हो रही है। अभी तक दूसरों की खुशी में नाच गाकर बधाई देने और लिंग मांगने तथा सड़कों रेलो और घरों में पैसे मांग कर जीवन काटने वाला यह समुदाय अब एक नई राह पर चलने को तत्पर है किन्नर के रूप में प्रथम महापौर रायगढ़ (छत्तीसगढ़) की मधु किन्नर, विधायक शबनम मौसी मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल में इस्लामपुर की लोक अदालत में न्यायधीश जोयिता मंडल, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णा नगर महिला कॉलेज की प्राचार्य मानवी बंधोपाध्याय, टेलीविजन एंकर पद्मिनी प्रकाश, सिने तारिका व उद्यमी-कल्कि सुब्रमण्यम, भरतनाट्यम नर्तकी तथा किन्नरों के मानव अधिकारों की पैरोकार और 14वें अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पहली विश्व सुंदरी नताशा, पुलिस अफसर के पृथिवी यासिनी, प्रथम महिला कॉन्स्टेबल गंगा कुमारी जैसे उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि यदि अवसर व सुविधाएं सुलभ हो और समाज तथा सरकार इमानदारीपूर्वक अपनी जिम्मेदारियां निभायें तो उक्त समुदाय एक सामान्य नागरिक का जीवन जी सकता है। इतना ही नहीं, वह देश का गौरव भी बन सकता है।

संदर्भ सूची :-

1. Mitchell Martin and Howarth, Charlie (2009), Research Report 27, Trans Research Review, Equality and Human Rights Commission, Natcen, available at https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/research-report-27-trans-research-review, retrieved 28july 2015
2. दीपांकर आशीष कुमार, (2018),'भारतीय समाज में किन्नरों का यथार्थ' अनुसंधान पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरर्स कानपुर 208001
3. पाठक विनय कुमार, (2019) 'किन्नर विमर्श दशा और दिशा', भावना प्रकाशन पटपड़गंज, दिल्ली -110091
4. रवीना बरिहा, (2019), 'तृतीय प्रकृति' समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ ।
5. सिंह शरद,(2020), ' थर्ड जेंडर विमर्श' सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली- 110002
6. कुमार अंकित, (2020), 'भारतीय ट्रांसजेंडर: एक विरोधाभासी पहचान वाला सीमांत समुदाय' Airo International Research Journal , ISSN: 2320-3714, Volume: 23
7. शर्मा गिरीश, (2021), 'गरिमा' अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल (म.प्र.)।